

Only CWC

केवल बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य हेतु आवेदन पत्र

जिले का नाम जिसके लिए आवेदन किया है-

पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया है(✓) लगाये :

1. केवल अध्यक्ष पद हेतु
2. केवल सदस्य पद हेतु
3. अध्यक्ष/सदस्य दोनो पद हेतु

पासपोर्ट आकार
का कलर फोटो
चिपकाएं

1. पूरा नाम-
2. पिता/पति का नाम-.....
3. जन्म तिथि(अंको एवं शब्दों में) -.....(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
4. वर्तमान व्यवसाय.....
5. यदि व्यवसायरत कृतिक है तो वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे है।(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

.....

6. घर का पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में -.....
.....

.....पिन कोर्ड.....

.....

सम्पर्क नम्बर मोबाइल नम्बरई-मेल

7. क्या आप किशोर न्याय बोर्ड /बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य, है/रहे है। यदि हां तो विवरण :-

क्र	बोर्ड/समिति का नाम	पद	जिला	कार्यकाल की अवधि
1				
2				
3				
4				
5				
6				

निरंतर.....

(2)

8. (अ) शैक्षणिक योग्यता का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)–

क्र	शैक्षणिक योग्यता	उत्तीर्ण का वर्ष	विषय	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1	12वी.			
2	स्नातक			
3	स्नातकोत्तर			
4	एम फिल/पी.एच.डी			
5	अन्य शैक्षणिक योग्यता			
6	कम्प्यूटर का ज्ञान(डिग्री यदि हो तो)			

9. बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें।)–

क्र	क्षेत्र/संस्था/स्वतंत्र कार्य का नाम/विषय	अनुभव (दिनांक से दिनांक तक)	अनुभव के कुल वर्ष	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1				
2				
3				

10. यदि व्यवसायरत कृतिक है तो विवरण–

क्र	किस क्षेत्र में व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) है	वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे है।	अनुभव के कुल वर्ष	प्रमाण पत्र संलग्न करने पर(✓) लगाये
1				
2				
3				
4				

11. पुलिस सत्यापन/आवेदक के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज है अथवा पूर्व में दोषसिद्ध हो तो उसका विवरण –

क्र	दर्ज प्रकरण	दोषसिद्ध/प्रचलित/दोषमुक्त
1		
2		

नोट : कोई प्रकरण दर्ज न होने पर निरंक अंकित करे तथा यथासंभव पुलिस सत्यापन रिपोर्ट संलग्न करें।

10. किसी एक पर टिक (✓)करें –मेरा आवेदन एवं संलग्न दस्तावेज आर.टी.आई में दिये जाने हेतु मैं सहमत ()/असहमत() हूँ।

11. कृपया निम्न प्रमाण पत्र स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करें।

- जन्म तिथि प्रमाण पत्र (पासपोर्ट/हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री मार्कशीट/जन्म प्रमाण पत्र)।
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र।
- बालकों के क्षेत्र में कार्य के समस्त अनुभव प्रमाण पत्र/पत्र।
- डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) होने का प्रमाण पत्र।
- निवास का प्रमाण। (आधार कार्ड/वोटर आईडी/पासपोर्ट/मूल निवासी प्रमाण पत्र)
- गृह/निवासरत जिले का पुलिस सत्यापन अथवा पुलिस को सत्यापन हेतु दिया आवेदन।

12. शपथपत्र नोटरी पर :-

(क) संलग्न फार्म 49 के अनुसार शपथ पत्र।

(ख) शपथ पत्र जिसमें निम्नलिखित प्रमाणिकरण आवश्यक है।

- मैं दिवालिया घोषित नहीं किया गया हूँ।
- समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में चयनित होने पर मैं अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनैतिक दल का पदाधिकारी नहीं रहूंगा।
- बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में चयनित होने पर अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा नहीं रहूंगा।
- मुझे किसी भी अपराधिक प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।
- मेरा मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है।
- मुझे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,

निरंतर...3

- मुझे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटाया या पदच्युत नहीं किया गया है।
- मैं कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त नहीं रहा हूँ।
- मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नहीं हूँ।
- मैं किसी ऐसे संगठन से नहीं जुड़ा हूँ जिसे विदेश से सहायता प्राप्त होती है।
- मैं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के पद हेतु विज्ञप्ति में उल्लेखित अनर्हताएँ नहीं रखता हूँ।
- यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा।
- मेरे द्वारा पद के आवेदन के संबंध में दिये गये निर्देशों का भलिभांति अध्ययन कर लिया है। यदि निर्देश में निर्धारित आवेदन प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने के कारण मेरा आवेदन अमान्य होता है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।
- मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सम्पूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र में संलग्न किये गये सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से सत्य और प्रमाणित हैं तथा मेरे द्वारा आवेदन में कोई तथ्य छुपाये नहीं गये हैं। आवेदन पत्र में दी गई किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी एवं छुपाये गये तथ्यों के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी जिसके लिए मेरे उपर की गई कोई भी वैधानिक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए शपथपत्र

मैं पिता/पति..... बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ। मैं यह सत्यापित करता/करती हूँ कि अधिनियम की धारा 27(4क) में अधिकथित किसी भी शर्त के कारण वर्जित नहीं हूँ।

1. मेरे ऊपर मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी पिछला रिकार्ड नहीं है।
2. मुझे नैतिक अधमता का दोषी नहीं ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराधों के मामले में पूर्ण क्षमा नहीं दी गई है।
3. मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार तथा भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम से/सेवा से नहीं हटाया गया है।
4. मैं कभी भी बाल अपराध या बाल श्रम नियोजन या अनैतिक कार्य या मानव अधिकारों या अनैतिक कार्यों के उल्लंघन में लिप्त नहीं पाया गया हूँ, या
5. मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नहीं हूँ।

यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

दिनांक

स्थान

(व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम और अन्य

विशिष्टियां

बाल कल्याण समिति के पद हेतु आवश्यक शर्तें एवं निर्देश।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(संशोधन, 2021) एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) के प्रावधानों के तहत जिलों में बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक शर्तें एवं निर्देश।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015(संशोधन, 2021) एवं किशोर न्याय आदर्श संशोधित नियम, 2022(मूल नियम, 2016) के प्रावधानों के तहत प्रत्येक जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों के निराकरण हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। समिति पांच सदस्यीय (एक अध्यक्ष/04 सदस्य) होगी, जिसमें से एक पद महिला के लिए सुरक्षित है, समिति अधिनियम एवं नियमों में प्रदत्त शक्तियों व उत्तरदायित्व के तहत जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेंगी। समिति में रिक्त पदों पूर्ति के लिए आवश्यक शर्तें, निर्देश एवं आवेदन प्रारूप निम्नानुसार हैं:-

1/ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के लिए अर्हताएं :-

- (i) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु पैंतीस वर्ष और अधिकतम पैंसठ वर्ष होगी।
- (ii) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में सात वर्ष से सक्रिय रूप से शामिल हो (actively involved) अथवा जो मनोचिकित्सा (psychiatry) या समाज विज्ञान(sociology) या विधि क्षेत्र (law) या सामाजिक कार्य(social work) या समाजशास्त्र(sociology) या मानव स्वास्थ्य (human health) या शिक्षा(education) या मानव विकास(human development) या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा (special education) में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यक्ति (practicing professional) हो।

2/ बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल-

- (i) समिति के अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- (ii) समिति का अध्यक्ष/ सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (iii) समिति के अध्यक्ष/ सदस्य की नियुक्ति दो लगातार कार्यकाल के लिए नहीं की जायेगी परंतु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने वाले सदस्य के मामले में यह वर्जित नहीं होगा।

- (iv) अध्यक्ष/सदस्य की आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर उसका बाल कल्याण समिति में कार्यकाल समाप्त हो जायेगा।

3/ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य पद के लिए अपात्रता—

- i** मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई रिकॉर्ड हों।
- ii** ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें में नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है।
- iii** उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है।
- iv** वह कभी बाल दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।
- v** समिति में रहते हुये दो कार्यकाल पूर्ण कर लिया गया हो अथवा समिति में सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल हो।
- vi** विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुड़ा व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- vii** किसी गैर-सरकारी संगठन या किसी संगठन, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो उसमें अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
स्पष्टीकरण: शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, इसमें समिति के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित स्थितियों में से कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक समिति नहीं है:
- (क) परिवार का कोई सदस्य किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है;
- (ख) घनिष्ठ संबंधी किसी गैर-सरकारी संगठन का सदस्य है;
- (ग) गैर-सरकारी संगठनों या जिले में बचाव और पुनर्वास के लिए काम कर रहा व्यक्तियों के मामले में;
- (घ) बाल देखरेख संस्थान चलाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति या किसी गैर-सरकारी संगठन के बोर्ड या ट्रस्ट का सदस्य।

4/ अन्य आवश्यक शर्तें/मापदण्ड—

(3)

- i** समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को संलग्न फार्म 49 के अनुसार शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, आवेदन के साथ शपथ पत्र संलग्न नहीं होने पर आवेदन अमान्य माना जावेगा, जिस के लिए कोई वाद या दावा मान्य नहीं होगा।
- ii** यह विज्ञप्ति शासकीय सेवा के लिए नहीं है।
- iii** समिति के अध्यक्ष/सदस्य को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान या भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- iv** अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।
- v** दिवालिया न हो।
- vi** चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी जिस के संबंध में कोई वाद मान्य नहीं होगा।
- vii** समिति में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- viii** चयनित होने पर ज्वार्निंग से पहले पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रारूप 49 में शपथ पत्र बाल संरक्षण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी, तदोपरांत ज्वार्निंग ली जावेगी।

5/ पद हेतु आवेदन प्रक्रिया—

1. विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

2. किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की शैक्षणिक योग्यता, स्वरूप, अर्हता, अपात्रता

की शर्तें आदि पृथक-पृथक होने से किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मय दस्तावेज के पृथक-पृथक मान्य होंगे। यदि आवेदक द्वारा पद हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं किया जाता है तो आवेदन निरस्त किया जायेगा जिसके संबंध में कोई वाद, दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

3. यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन दिया जाता है तो उसके लिए पृथक-पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए तथा समस्त दस्तावेज विधिवत संलग्न होना चाहिये। आवेदन पूर्ण/विधिवत नहीं होने पर निरस्त कर दिया जावेगा।

5. आवेदकों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।

(4)

6. विज्ञप्त पदों की समस्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अध्याधीन होगी।
7. आवेदन आयुक्त, महिला एवं बाल विकास संचालनालय विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल पिन 462011 में कार्यालीन समय में दिनांक 29 सितम्बर 2023 तक जमा अथवा पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये जा सकते हैं। ई-मेल अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नही किया जायेगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश